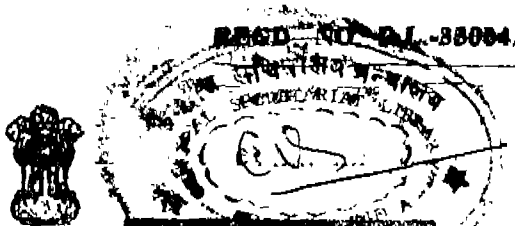
रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 1993/ज्येष्ठ 11, 1915
No. 19] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 1993/JYAISTHA 11, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दि शिपिंग कारपोरेशन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी ऑफ इण्डिया लि.

आदेश

बम्बई, 1 जून 1993

एस. सी. आई. सी. आई./पैक 10/1.—यतः एस. सी. आई. सी. आई. लिमिटेड तथा नौवहन विकास निधि समिति (उत्पादन अधिनियम) 1986 को (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है।) धारा 16 के अर्थों के अन्तर्गत "पदनामित व्यक्ति" हैं।)

और यतः एस सी आई सी आई लिमिटेड को पदनामित व्यक्ति के रूप में हक प्राप्त हो गया है और उसके उक्त अधिनियम के अध्याय-III के उपबन्धों के अधीन विभिन्न विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया।

अब उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए यह आदेश दिया जाता है और घोषणा की जाती है कि सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में मौजूदा निदेशक के बजाय निम्नलिखित व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं।

1. श्री एन. एस. पाछेलकर
2. श्री एच. एम. पटेल
3. श्री ए. सी. मुखर्जी
4. श्री एम. एन. कक्कड़
5. श्री प्रवीण सिंह
6. श्री पी. वी. मैथा
7. कुमारी एन. जे. खम्बाता
8. श्री आर. सुन्दररामन
9. कप्तान आर. डी. कोहली

यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित होते ही तत्काल प्रभावी हो जायेगा।

बम्बई, मार्च, 1, 1993

आदेश से
एस. सी. आई. सी. आई. लिमिटेड
की ओर से
वाई. एस. शाह, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

THE SHIPPING CREDIT AND INVESTMENT COMPANY OF INDIA ORDER

Bombay, the 1st June, 1993

SCICI/SEC. 10/1.—Whereas, SCICI Limited (hereinafter referred to as "SCICI") is the "designated person" within the meaning of Section 16 of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 (hereinafter referred to as "the said Act").

And whereas SCICI, as the designated person is entitled and has decided to exercise various special powers under the provisions of Chapter III of the said Act;

Now, in pursuance of the provisions of Section 10 of the said Act, it is hereby ordered and declared that the existing Board of Directors of the Scindia Steam Navigation Company Limited shall stand substituted by the following persons :

1. Shri N. S. Parulekar
2. Shri H. M. Patel
3. Shri A. C. Mukherji
4. Shri S. N. Kakar
5. Shri Praveen Singh
6. Shri P. V. Maiya
7. Kum. N. J. Khambatta
8. Shri R. Sunderaraman
9. Capt. R. D. Kohli.

This order shall come into force immediately upon its being notified in the Official Gazette.

Dated at Bombay this 1st day of March, 1993

By Order,
for SCICI Limited.
Y. S. SHAH, Authorised Signatory

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1993